न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 201/2018

श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण उम्र 66 वर्ष निवासी ग्राम डोडियाना वाया पादू, जिला नागौर

.....वादिया

बनाम

1. श्री छोटूलाल पुत्र स्व. श्री बिरदीचन्द
2. (क) श्रवण कुमार पुत्र स्व. श्री रूपचन्द
   (ख) मुकेश पुत्र स्व. श्री रूपचन्द
   (ग) मधुसुदन पुत्र स्व. श्री रूपचन्द
3. राजस्थान सरकार जरिये भूधारक तहसीलदार एवं उप पंजीयक मसूदा तहसील परिसर मसूदा, जिला अजमेर (राजस्थान)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 31.07.2019

वादपत्र में वादी ने संक्षिप्ततः कथन किए हैं राजस्व ग्राम किराप पटवार क्षेत्र किराप भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किराप तहसील मसूदा जिला अजमेर की (क) राजस्व जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 151 में अंकित खसरा संख्या 1687 रकबा 00–03–10 गै.मु. चाह, खाता संख्या 659 में अंकित खसरा संख्या 2347 रकबा 00–14–10 किस्म गै.मु.चाह, खाता संख्या 154 में अंकित खसरा संख्या 2387 रकबा 06–03–10 किस्म बा.3 तथा पद संख्या (ख) राजस्व ग्राम मोतीपुरा पटवा क्षेत्र केरिया, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किराप की जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 91 में अंकित खसरा संख्या 358 रकबा 02–01–00, 359 रकबा 02–00–10, 360 रकबा 00–17–00, 361 रकबा 01–01–10, 362 रकबा 01–13–10, 363 रकबा 01–14–10, 364 रकबा 00–09–00, 365 रकबा 03–01–00, 366 रकबा 00–03–00 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 13–01–00 तथा पद संख्या (ग) राजस्व ग्राम मायला पटवार क्षेत्र मायला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र किराप की जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 216 में अंकित खसरा संख्या 1810 रकबा 00–13–10, 1812 रकबा 05–04–10 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 05–18–00 आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पूर्वजों की पुश्तैनी संपत्ति है, जो कि पहले स्वर्गीय श्री बिरदीचन्द जी के नाम से खातेदारी दर्ज थी एवं वे ही उक्त आराजी के एकमात्र खातेदार एवं काश्तकार थे जिनका सिजरा वादपत्र के पद संख्या 2 में अंकित है। बिरदीचन्द जी की मृत्यु के पश्चात् उनके विधिक वारिस पुत्री वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 पुत्र एवं प्रतिवादी संख्या 2 पौत्र हैं। इनकी पत्नी सरस्वती देवी की भी मृत्यु हो चुकी है। मृत्युपरांत उनके विधिक वारिस वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हुए, उक्त आराजी पर कब्जे काश्त होकर कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिरदीचन्द जी की मृत्युपरांत पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी के विरासत से नामान्तकरण दर्ज किए कए परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता ने बदनियतीपूर्वक वादी को गुमराह कर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्रण अपने नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं करवाया गया। उक्त पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी क्र.सं. (ग) में वर्णित आराजी का नामान्रण नहीं खोला गया एवं स्व. बिरदीचन्द के नाम ही दर्ज चली आ रही है। ग्राम किराप के नान्तरण संख्या 214 दिनांक 05.05.1993 एवं ग्राम मोतीपुरा के नामान्तकरण संख्या24 दिनांक 28.05.87

————निरन्तर

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी

में प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता ने चालाकी से एवं तथ्य छिपाकर स्वयं के पक्ष में नामान्तरण दर्ज करवा लिया एवं वादी का नाम बतौर वारिस दर्ज नहीं करवाया जबकि हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत वादी भी बिरदीचन्द की संपत्ति में समान रूप से कानूनी वारिस है, परन्तु वादी के हिस्से की संपत्ति भी नाजायज रूप से हड़प करने की नियत से वादी का नाम नामान्रण में दर्ज नहीं करवाया, इस कारण उक्त ग्राम किराप के नामान्तरण संख्या 214 दिनांक 05.05.93 एवं ग्राम मोतीपुरा के नामान्तकरण संख्या 24 दिनांक 28.05.87 निरस्तनीय है तथा पैरा संख्या (ग) में वर्णित आराजी में नामान्तरण दर्ज कर वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः वादी के पक्ष में घोषणात्मक एवं स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित की जावे कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजी में वादी 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा इसी अनुरूप पूर्व में खोले गए नामान्तरण को निरस्त कर नए नामान्तरण समस्त राजस्व अभिलेख में बतौर 1/3 हिस्से की खातेदार काश्तकार वादी का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। अन्य अनुतोष जो उचित हो दिलाया जावे।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीसंख्या 2 (ख)(ग) के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 (क) ने स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर कथन किए हैं कि हमारी बहिन/भुआ श्रीमती शांतिदेवी द्वारा प्रस्तुत किया वाद में उसका हक हिस्सा दिया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार मसूदा ने अपने जवाब में कथन किए कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्ध करें।

चूंकि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा वादिया के पक्ष में जवाब प्रस्तुत किया है तथा न्यायालय में स्वयं ही स्वीकार करते हुए कथन किए हैं, अतः प्रकरण में तनकियात कायम नहीं कर सीधे ही बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी के कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे।

बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम किराप पटवार हल्का किराप की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 134 में अंकित खसरा संख्या 1687 रकबा 00–03–10 किस्म गै.मु.चाह में चन्द्रशेखर महावीर दुर्गादत्त रामप्रसाद दिनेश कुमार पिसरान रतनलाल मु. नर्बदा देवी पत्नि स्व. रतनलाल रामस्वरूप वल्द देवीदत्त रूपचन्द छोटू पिसरान बिरदीचन्द कौम ब्राह्मण कौम सा. देह खातेदार दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार ग्राम किराप की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 632 में अंकित खसरा संख्या 2347 रकबा 00–14–10 किस्म गै.मु.चाह में राजेन्द्रप्रसाद वल्द पन्नालाल बिरदीचन्द वल्द रामगोपाल चन्द्रशेखर महावीर दुर्गादत्त रामप्रसाद दिनेशकुमार पिसरान रतनलाल रामस्वरूप वल्द देवीदत्त कौम ब्राह्मण सा. देह खातेदार ब.हि.ब. दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार ग्राम किराप की जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता संख्या 136 में अंकित खसरा संख्या 2387 रकबा 06–03–10 किस्म बारानी 3 में चन्द्रशेखर वल्द रतनलाल रूपचन्द छोटू पिसरान

————निरन्तर

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.11 14:42:42 IST
Reason: SelfAttested
Location: